

विधि / LAW

प्रश्न-पत्र I / Paper I

निर्धारित समय : तीन घंटे

Time Allowed : Three Hours

अधिकतम अंक : 250

Maximum Marks : 250

प्रश्न-पत्र के लिए विशिष्ट अनुदेश

कृपया प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें :

इसमें आठ प्रश्न हैं जो दो खण्डों में विभाजित हैं तथा हिन्दी और अंग्रेज़ी दोनों में छपे हैं ।

परीक्षार्थी को कुल पाँच प्रश्नों के उत्तर देने हैं ।

प्रश्न संख्या 1 और 5 अनिवार्य हैं तथा बाकी में से प्रत्येक खण्ड से कम-से-कम एक प्रश्न चुनकर किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए ।

प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं ।

प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए । उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे ।

प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए ।

प्रश्नों के उत्तरों की गणना क्रमानुसार की जाएगी । यदि काटा नहीं हो, तो प्रश्न के उत्तर की गणना की जाएगी चाहे वह उत्तर अंशतः दिया गया हो । प्रश्न-सह-उत्तर-पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए ।

Question Paper Specific Instructions

Please read each of the following instructions carefully before attempting questions :

There are **EIGHT** questions divided in **TWO SECTIONS** and printed both in **HINDI** and in **ENGLISH**.

Candidate has to attempt **FIVE** questions in all.

Questions no. **1** and **5** are compulsory and out of the remaining, **THREE** are to be attempted choosing at least **ONE** from each section.

The number of marks carried by a question / part is indicated against it.

Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.

Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to.

Attempts of questions shall be counted in sequential order. Unless struck off, attempt of a question shall be counted even if attempted partly. Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

SECTION A

Q1. निम्नलिखित में से प्रत्येक का उत्तर लगभग 150 शब्दों में लिखिए :

Answer the following in about 150 words each :

10×5=50

- (a) समकालीन आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक वास्तविकताओं को देखते हुए, अनुच्छेद 12 के प्रयोजनों के लिए, कोई अभिकरण/निकाय 'राज्य' है या नहीं, इसका निर्धारण करने के लिए विकसित न्यायिक ढाँचे का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। क्या यह परीक्षण आजकल अत्यधिक संकीर्ण है? अपने उत्तर के पक्ष में दलील दीजिए।

Given the contemporary economic, political and social realities, critically evaluate the judicial framework developed to determine whether an agency/body is 'State' for the purposes of Article 12. Is the test currently too narrow? Justify your answer.

10

- (b) इस मत के बारे में आपका क्या विचार है कि अनुच्छेद 72 और 161 के अधीन राष्ट्रपति और राज्यपालों द्वारा दया प्रदान करने की शक्तियों का उपयोग भी सांविधानिक चुनौती के लिए खुला होना चाहिए? देश के उच्चतम न्यायालय के हाल के केसों का उल्लेख करते हुए इस पर चर्चा कीजिए।

What would be your opinion regarding the view that the exercise of powers by the President and Governors under Article 72 and 161 to grant mercy should also be open to Constitutional Challenge? Discuss with reference to recent cases of the Apex Court of the country.

10

- (c) "भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 वर्ग विधान को मना करता है लेकिन उचित वर्गीकरण को नहीं मना करता है।" परीक्षण कीजिए और साथ में चर्चा कीजिए कि इस सांविधानिक उपबंध के द्वारा प्रस्थिति और अवसर की समानता किस हद तक प्राप्त की जाती है।

"Article 14 of the Constitution of India forbids class legislation not reasonable classification." Examine and also discuss how far equality of status and opportunity are achieved by this Constitutional provision.

10

- (d) भारत के संदर्भ में 'लोकयुक्त' और 'लोकपाल' शब्दों को परिभाषित कीजिए और उनके बीच विभेद कीजिए। साथ ही, इसकी प्रासंगिकता का भी उल्लेख कीजिए।

Define and distinguish between the terms 'Lokayukta' and 'Lokpal' in the Indian context. Also mention about its relevance.

10

- (e) अभिव्यंजना 'न्यायपालिका की स्वतंत्रता' से आप क्या समझते हैं ? क्या कारण है कि आजकल इस पर चर्चा/वाद-विवाद/प्रश्न बहुत ज्यादा हो रहे हैं ? इस गतिविधि के लिए आप कौन-से कारण बताएँगे ?

10

What do you understand by the expression 'independence of judiciary' ? Why is it being discussed/debated/questioned too much nowadays ? What reasons would you give for this development ?

- Q2. (a) "जीवन का अधिकार' का अर्थ केवल प्राणि-अस्तित्व से कुछ अधिक होता है ।" केस विधि के उल्लेख के द्वारा इस पर चर्चा कीजिए । क्या अभिव्यंजना 'जीवन का अधिकार' और 'व्यक्तिगत स्वतंत्रता' के बीच कोई अंतर है ? समालोचनापूर्वक स्पष्ट कीजिए ।

"Right to life means something more than mere animal existence." Discuss with reference to case law. Is there any difference between the expression 'right to life' and 'personal liberty' ? Explain critically.

20

- (b) "प्रधान मंत्री मंत्रिमंडल मेहराब का सर्वप्रमुख पत्थर होता है क्योंकि वही उसकी रचना, जीवन और मृत्यु के लिए जिम्मेदार होता है ।" संविधान के विभिन्न उपबंधों के प्रकाश में उपर्युक्त कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए और मंत्रिमंडल में भारत के प्रधान मंत्री की स्थिति का निर्धारण कीजिए ।

"The Prime Minister is the keystone of the Cabinet arch because he is responsible for its formation, life and death." Critically examine the above statement in the light of various provisions of the Constitution and determine the position of the Prime Minister of India in the Cabinet.

15

- (c) 'विधिक सहायता' के क्षितिज का विस्तार हो गया है, परंतु फिर भी अभी तक उसका प्रभाव पूरी तरह दिखाई नहीं देता है । आप इस संकट को किस प्रकार सुलझाएँगे, जो हमारे देश के करोड़ों गरीबों के जीवन को सालों-सालों से बर्बाद कर रहा है । इसको अधिक प्रभावी और कार्यान्वयन-क्षम बनाने के लिए कुछ ठोस उपाय सुझाइए ।

The horizon of 'Legal aid' has been widened best, still the impact is totally missing. How would you resolve this crisis which is ruining the life of millions of poor people of our country over the years ? Suggest some concrete measures to make it more effective and implementative.

15

- Q3. (a) इस तथ्य के प्रकाश में कि भारत के संविधान में प्रत्यायोजित विधान पर कोई व्यक्त प्रतिषेध नहीं है, अत्यधिक प्रत्यायोजन पर प्रतिबंध लगाते हुए या सांविधानिक परिसीमाओं के बिना प्रत्यायोजन की अनुमति प्रदान करते हुए, अलग-अलग न्यायिक दृष्टिकोणों के आधार का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए ।

In light of the fact that the Constitution of India has no express prohibition on delegated legislation, critically evaluate the basis for different judicial positions either prohibiting excessive delegation or permitting delegation without Constitutional limitations. 20

- (b) 'संरक्षित विभेद' क्या होता है ? परीक्षण कीजिए कि अनुच्छेद 15 और 16 के अधीन यह किस सीमा तक सांविधानिक है । विनिश्चित कसों का उल्लेख कीजिए । इसके साथ, जहाँ तक इसके अनुप्रयोग का प्रश्न है, इन अनुच्छेदों की परिसीमाओं का उल्लेख कीजिए ।

What is 'Protected discrimination' ? Examine how far it is constitutional under Article 15 and 16. Give reference of decided cases. Also mention the limitations of these articles as per its application. 15

- (c) "सूचियों के बीच अपरिहार्य और अनमेल विरोध के मामले में, अनुच्छेद 246 में सर्वोपरि खंड को अंतिम साधन माना जाना चाहिए ।" समालोचनापूर्वक परीक्षण कीजिए । साथ ही, इस खंड से संबंधित दुरुपयोग/दुरुपयोगों पर चर्चा कीजिए । क्या 'तत्त्व और सार के सिद्धांत' और 'सर्वोपरि खंड' के बीच कोई संबंध है ?

"The non-obstante clause in Article 246 ought to be regarded as last resource in case of an inevitable and irreconcilable conflict between the lists." Examine critically. Also discuss the abuse/abuses related to this clause. Is there any connection between the doctrine of 'pith and substance' and 'non-obstante clause' ? 15

- Q4. (a) उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर करने के लिए, संबंधित पक्षों के अतिरिक्त, किन परिस्थितियों में, अन्य व्यक्ति का सुने जाने का अधिकार होता है ? इस प्रक्रिया ने देश में लोकतांत्रिक सिद्धांतों के विकास और प्रोन्नति में किस प्रकार सहायता प्रदान की है ?

Under what circumstances, apart from concerned parties, a third party has locus standi to move writ petition before the High Court or Supreme Court ? How has this procedure helped in developing and promoting democratic principles in the country ? 20

- (b) भारत के संविधान के अधीन प्रदत्त राज्य के राज्यपाल की शक्तियों का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। आप निम्नलिखित उक्ति कि “उप-राज्यपाल की भूमिका राष्ट्रपति के नियंत्रण के अधीन प्रशासन के सुगमीकारक से अधिक नहीं है” की किस प्रकार व्याख्या करेंगे ?

Critically evaluate the powers of the Governor of a State as provided under the Constitution of India. How would you interpret the following observation that “the role of a Lieutenant Governor is no more than that of a facilitator of administration under the President’s control” ?

15

- (c) उच्चतम न्यायालय के द्वारा विनिश्चित केशों के प्रकाश में, मूल अधिकारों और राज्य की नीति के निदेशक तत्त्वों के बीच संबंध के बारे में उच्चतम न्यायालय के मत को स्पष्ट कीजिए। क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि इनमें से किसी एक को दूसरे पर प्रमुखता देने से संविधान की सुसंगति गड़बड़ा जाएगी ? शिक्षा, स्वास्थ्य, धर्म, आदि से संबंधित आज के परिदृश्य के संदर्भ में, इस विषय पर टिप्पणी कीजिए।

Explain the opinion of the Supreme Court of India regarding the relation between the Fundamental Rights and Directive Principles of State Policy in the light of its decided cases. Do you agree with the view that giving primacy to one over the other is to disturb the harmony of the Constitution ? Comment with reference to the present day scenario relating to education, health, religion, etc.

15

खण्ड B

SECTION B

Q5. निम्नलिखित में से प्रत्येक का उत्तर लगभग 150 शब्दों में लिखिए :

Answer the following in about 150 words each :

10×5=50

- (a) “आज अंतर्राष्ट्रीय विधि के आधार का विशाल स्थानांतरण है, यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय विधि का प्रमुख सिद्धांत बंधनकारी नियमों, आरोपित कर्तव्यों और राज्य पर अधिकारों के संप्रदान के द्वारा निरूपित है।” समालोचनापूर्वक टिप्पणी कीजिए।

“Today there is a huge shift of the basis of International law though the principal component of International law is represented by binding rules, imposing duties and conferring rights upon the state.” Comment critically.

10

- (b) अंतर्राष्ट्रीय विधि के अधीन ‘प्रत्यर्पण संधि’ के महत्त्व और प्रासंगिकता का मूल्यांकन कीजिए। क्या एक ऐसे अपराधी का प्रत्यर्पण करने का राज्य का दायित्व होता है, जिस पर एक पड़ोसी राज्य में राजनीतिक हत्या का आरोप है? कारण बताइए।

Evaluate the importance and relevance of ‘Extradition Treaty’, under International law. Is a state liable to extradite an offender, who has been accused of a political murder in a neighbouring state? Give reasons.

10

- (c) युद्ध-बंदियों की सुरक्षा में अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी विधि की प्रभाविता पर चर्चा कीजिए।

Discuss the efficacy of International Humanitarian law in the protection of Prisoners of War.

10

- (d) “अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विश्व व्यवस्था और शांति के लिए खतरा है।” विस्तारपूर्वक स्पष्ट कीजिए। साथ ही, ‘अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद’ शब्द की परिभाषा कीजिए। इस संबंध में विकसित और विकासशील देशों ने कौन-से प्रमुख कदम उठाए हैं? चर्चा कीजिए।

“International Terrorism is a threat to world order and peace.” Elucidate. Also define the term ‘International Terrorism’. What major steps have been taken up by the developed and developing countries in this respect? Discuss.

10

- (e) ‘संधि की संपुष्टि’ के सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए। साथ ही, संधि की अ-संपुष्टि के परिणामों का परीक्षण कीजिए।

Explain the principles of ‘Ratification of a Treaty’. Also examine the consequences of non-ratification of a treaty.

10

- Q6. (a) हाल में मार्शल द्वीप गणराज्य (आर.एम.आई.) ने भारत के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आई.सी.जे.) में एक आवेदन दायर किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि भारत ने नाभिकीय निरस्त्रीकरण तक पहुँचाने वाली वार्ता को सद्भावपूर्वक आगे बढ़ाने के और समापन करने के अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया है। क्या यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आई.सी.जे.) की अनिवार्य अधिकारिता के अंतर्गत आएगा? चर्चा कीजिए। साथ ही, भारत द्वारा इस अधिकारिता को चुनौती दिए जाने की संभावना के सम्बन्ध में उल्लेख कीजिए।

The Republic of Marshall Islands (RMI) recently filed an application against India in the International Court of Justice (ICJ) alleging India's breach of its obligation to pursue in good faith and conclude negotiations leading to nuclear disarmament. Would it fall under the compulsory jurisdiction of ICJ? Discuss. Also mention about the possibility of challenging this jurisdiction by India.

20

- (b) "मनुष्य की राष्ट्रियता एक ओर प्रभुत्वसंपन्न राज्य और दूसरी ओर नागरिक के बीच अविच्छिन्न विधिक सम्बन्ध है।" उपर्युक्त कथन को स्पष्ट कीजिए। साथ ही, 'राष्ट्रियता', 'दोहरी राष्ट्रियता' और 'राष्ट्रहीनता' के बीच अंतर का उल्लेख कीजिए।

"A man's nationality is a continuing legal relationship between the sovereign state on the one hand and the citizen on the other." Explain the above statement. Also mention the difference between 'nationality', 'double nationality' and 'statelessness'.

15

- (c) निम्नलिखित की परिभाषा कीजिए और उनके बीच विभेदन कीजिए :

(i) राज्य को मान्यता और सरकार को मान्यता

(ii) तथ्यतः मान्यता और विधितः मान्यता

साथ ही, 'सामूहिक मान्यता' संकल्पना को स्पष्ट कीजिए।

Define and distinguish between the following :

(i) Recognition of State and Recognition of Government

(ii) De facto and De jure recognition

Also explain the concept 'Collective recognition'.

15

- Q7. (a) अंतर्राष्ट्रीय विधि के अधीन समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा एवं परिरक्षण के लिए उपलब्ध कानूनों/अभिसमयों/रीतियों का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। साथ ही, 'पारगमन यात्रा' और उसके दुरुपयोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय विधि के अधीन प्रदान किए गए नियमों पर चर्चा कीजिए।

Critically evaluate the laws/conventions/practices available for the protection and preservation of marine environment under International law. Also discuss the rules provided under International law for 'transit passage' and its abuses.

20

- (b) अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान निकालने के विभिन्न शांतिपूर्ण साधनों की चर्चा कीजिए। आज की समस्याओं के संदर्भ में आपके विचार में कौन-सा साधन अधिक व्यवहार्य है? कारण बताइए।

Discuss the various peaceful means of resolving International disputes. Which one according to you is more practical in the context of problems of the present day? Give reasons.

15

- (c) अंतर्राष्ट्रीय विधि के अधीन 'प्रादेशिक शरण' शब्द का क्या अर्थ है? इसके प्रमुख घटक क्या हैं? और यह 'प्रादेशिक संप्रभुता' शब्द से किस प्रकार भिन्न है? चर्चा कीजिए।

What is the meaning of the term 'Territorial Asylum', under International law? What are its major components? And how is it different from the term 'Territorial Sovereignty'? Discuss.

15

- Q8. (a) 'संयुक्त राष्ट्र संघ' (यू.एन.) चार्टर के उन उपबंधों का समालोचनापूर्वक परीक्षण कीजिए, जो यू.एन. को राष्ट्रों के बीच 'शांति स्थापन' की अपनी प्राथमिक भूमिका के निष्पादन की शक्ति प्रदान करते हैं। यू.एन. के इस प्रकार्य के सम्बन्ध में आपका क्या आकलन है? इस प्रयोजन के लिए कुछ उपाय या मार्ग-चित्र (रोड-मैप) सुझाइए।

Critically examine the provisions of the UN Charter which enables the UN to perform its primary role of 'peace keeping' among nations. What is your assessment regarding this function of the UN? Suggest some measures or a road-map for this purpose.

20

- (b) आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि के अधीन, 'हाई सी' (महासमुद्र) शब्द का क्या अर्थ नियत किया गया है ? स्पष्ट कीजिए । हाई सी के क्षेत्रों में नाभिकीय परीक्षण की वैधता की दृष्टि से, हाई सी की स्वतंत्रता की संकल्पना के विस्तार पर भी चर्चा कीजिए ।

Under modern International law what meaning has been assigned to the term 'High Sea' ? Explain. Also discuss the scope of the concept of freedom of the High Sea with reference to legality of nuclear test in the areas of High Sea.

15

- (c) "अंतिम विश्लेषण में, केवल व्यक्ति ही अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय हैं ।" टिप्पणी कीजिए । साथ ही, अंतर्राष्ट्रीय विधि और राष्ट्रीय विधि के बीच संबंध के संदर्भ में रूपांतरण थियोरी पर भी चर्चा कीजिए ।"

"In the ultimate analysis individuals alone are the subjects of International law." Comment. Also discuss the Transformation theory in the context of the relation between International law and Municipal law.

15